1319

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./1915/2011/जोधपुर

1. श्रीमती खमा पुत्री श्री राणीदान पत्नि पदमाराम
2. श्री पदमाराम पुत्र श्री बालू
   जातियान कुम्हार निवासीयान ग्राम तिंवरी, तहसील ओसिया जिला जोधपुर।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ओसिया जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत तिंवरी तहसील ओसिया जिला जोधपुर।

....प्रत्यर्थीगण

Reportable

खण्ड-पीठ
श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य
श्री बी.एल. नवल, सदस्य

उपस्थितः
श्री रुघाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
श्री हगामीलाल चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 13 सितम्बर, 2011

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-9-2010 (अपील संख्या 127/2008) तथा सहायक कलक्टर, ओसिया के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-6-2008 (प्रकरण संख्या 49/2003) से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक

नियमित वाद राज्य-शासन व ग्राम-पंचायत, तिंवरी के विरूद्ध सहायक कलक्टर, ओसिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने इस नियमित वाद को दिनांक 25-6-2008 से खारिज कर दिया तथा अपीलार्थीगण ने इस निर्णय एवं डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की, जो भी दिनांक 30-9-2010 को खारिज कर दी गयी। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तत की है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को इस अपील को विचारार्थ ग्रहण करने बिन्दु पर सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का बहस में कथन है कि ग्राम तिंवरी के खसरा नंबर 761 किस्म चारागाह रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा पर अपीलार्थीगण का संवत 2010 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि भू प्रबंध कार्मिकों ने प्रश्नगत भूमि को चारागाह में दर्ज कर दी, जबकि प्रश्नगत भूमि पर संवत 2010 से काश्त की जा रही थी। उनका यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि के खसरा नंबर की भूमि अन्य अतिक्रमियों को आवंटित/ नियमित की जा चुकी है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद को खारिज करने में विधिक भूल की है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण ने अपने कब्जे को सिद्ध करने हेतु 42 दस्तावेज प्रस्तुत किये थे तथा तहसीलदार ने भी प्रश्नगत भूमि अपीलार्थीगण के पक्ष में नियमित करने की सिफारिश की थी लेकिन परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुए अपीलार्थीगण का दावा/ अपील खारिज की है। विद्वान अभिभाषक ने धारा 5 मियाद अधिनियम व इसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र को स्वीकार कर इस अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने का कथन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक राजय शासन का बहस में कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तत अपील स्पष्टतः मियाद बाहर है। अतः इसी आधार पर खारिज की जावे। उनका यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि गांवाई चारागाह की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायलयों का समवर्ती अभिमत विधिक व तथ्यात्मक रूप से उचित है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील विचारार्थ गहण करने के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया

7. यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तत धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र को इस प्रकरण की परिस्थितियों में स्वीकार करते हुए प्रकरण का गुणावगुणों पर निर्णय करना उचित समझता है।

8. इस प्रकरण में यह एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है कि ग्राम तिंवरी के खसरा नंबर 761 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा भूमि की किस्म चारागाह है। इस चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का एक नियमित वाद अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर, ओसियां के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस नियमित वाद में राजस्थान-शासन की ओर से तहसीलदार व ग्राम पंचायत का जवाब प्रस्तुत होने के आद परीक्षण न्यायालय ने 5 विवाद्यकों पर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट करते हुए अपीलार्थीगण/ वादीगण का दावा खारिज किया है। इस नियमित वाद में परीक्षण न्यायालय का मुख्य अभिमत यह है कि अपीलार्थीगण/ वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर संवत 2010 से 2020 के कब्जे के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए हैं। इस प्रकरण में यह भी एक तथ्यात्मक स्थिति है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही श्री राणीदान के विरूद्ध की गयी है तथा उसकी बेदखली भी की गयी है। अपीलार्थिया श्रीमती खमा श्री राणीदान की पुत्री है तथा प्रत्यर्थी सख्या-2 श्री राणीदान का दामाद है तथा वे प्रश्नगत भूमि पर अपनी खातेदारी की घोषणा चाहते हैं।

8. इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि चारागाह भूमि पर

किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थीगण के दावे/अपील खारिज करने में कोई तथ्यात्मक व कानूनी भूल नहीं की है।

9. चूंकि प्रश्नगत भूमि चारागाह की भूमि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील नम्बर 1132/2011 एवं विशेष याचिका 3109/2011 में भी चारागह व ग्राम-पंचायत से संबंधित गांवाई भूमि के नियमन के संबंध में निम्न अभिमत प्रकट किया है :-

> **We find no merit in this appeal. The appellants herein were trespassers who illegally encroached on to the Gram Panchayat land by using muscle power/ money power and in collusion with the official and even with the Gram Panchayat. We are of the opinion that such kind of blatant illegalities must not be condoned. Even if the appellants have built houses on the land in question they must be ordered to remove their constructions, and possession of the land in question must be handed back to the Gram Panchahat. Regularizing such illegalities must not be permitted because it is Gram Sabha land which must be kept for the common use of villagers of the village. The letter dated 26-9-2007of the Government of Punjab permitting regularization of the possession of these unauthorised occupants is not valid. We are of the opinion that such letters are wholly illegal and without jurisdiction. In our opinion such illegalities cannot be regularized. We cannot allow the common interest of the villagers to suffer merely because the unauthorized occupation has subsisted for many years.**

10. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त अभिमत के प्रकाश में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को सारहीन होने के कारण विचारार्थ ग्रहण करने के बिन्दु पर ही खारिज करता है तहसीलदार, ओसियां को निर्देश है कि अपीलार्थीगण को नियमानुसार चारागाह भूमि से बेदखली की कार्यवाही करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल. नवल)
सदस्य

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य